

फर्द अहकाम

पत्रावली बनाम सरोज देवी वर्मा,

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, पावटा (कोटपूतली-बहरोड़)

प्रकरण संख्या...../10/...../2024

क्र. संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष
	27/3/26	<p>पत्रावली पत्रावादी कि ओर से कोई उप. नहीं। न्यायालय के समय के दौरान बार-2 आवज लगवाने के बाद भी वादी कि ओर से कोई उप. नहीं देने के कारण वाद पर अरम टाजरी एवं अरम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली में सुमार होकर दर्ज नम्बर से रुम हो बार दाखिल दफ्तर है।</p> <p style="text-align: center;">2</p> <p style="text-align: center;"><b>उपखण्ड अधिकारी</b> पावटा (कोटपूतली-बहरोड़)</p>	